न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलियाआर.ए.एस.
प्रकरण सं0 60 / 2024दायर दिनांकः 25.10.2024

उनवान

1. नरेश कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल मो.नं. 7877051864
2. नीतू आयु 22 वर्ष पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल
3. पुष्पाबाई आयु 65 वर्ष पत्नि स्व. छीतरलाल जाति मेघवाल
4. ममता आयु 25 वर्ष पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल
5. रामकिशन आयु 38 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल मो.नं. 6377236465
6. सुनिता आयु 30 वर्ष पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल
7. सूरजकरण आयु 34 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल निवासीगण निमोदा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 8890522279

वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज आयु 62 वर्ष पुत्र कंवरलाल जाति मेघवाल निवासी निमोदा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 8890615712
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,91, 92ए आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा
प्रतिवादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर

निर्णयदिनाकः25.08.2025

वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 92एआर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल निमोदा पटवार हल्का भैंसडा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 29 के ख0नं0 282 रकबा 0.72 है०, ख0नं0 283 रकबा 1.06 है०, ख0नं0 414 / 152 रकबा 0.62 है0 कुल किता 3 का रकबा 2.40 है0 आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के

शामलाती खाते दर्ज चली आ रही हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वादीगण के पिता छीतरलाल पुत्र कंवरलाल व प्रतिवादी क्रम 1 दोनो सगे भाई हैं। इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 ने वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से अपने सम्पूर्ण हिस्से का हकत्याग दिनांक 29.06.2015 को वादीगण के पिता छीतरलाल पुत्र कंवरलाल जाति मेघवाल निवासी निमोदा के पक्ष में प्रतिवादी क्रम 2 के यहा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 223 मे पृष्ठ संख्या 70 क्रम संख्या 2015001121 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 654 के पृष्ठ संख्या 24 से 26 पर चस्पा कर दिया गया था। तब से ही वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी पर वादीगण के पिता का कब्जा काश्त एवं स्वामित्व चला आ रहा हैं। हकत्याग दिनांक 29.06.2015 की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। हकत्याग दिनांक 29.06.2015 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 223 में पृष्ठ संख्या 70 क्रम संख्या 2015001121 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 654 के पृष्ठ संख्या 24 से 26 चस्पा करवाते समय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर भारतीय स्टेट बैंक अटरू का रहन का नोट अंकित था। इसलिए वादीगण के पिता के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं हो सका था। इसी दोरान वादीगण के पिता छीतरलाल पुत्र कंवरलाल का स्वर्गवास हो गया और वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर विरासत से वादीगण का शामलाती खाते नाम दर्ज हो गया और वादीगण ने वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी को रहन मुक्त करवाकर हकत्याग पत्र दिनांक 29.06.2015 के आधार पर प्रतिवादी क्रम 2 के यहा प्रार्थना पत्र पेश कर नामान्तकरण दर्ज करवाने का निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा हकत्याग दिनांक 29.06.2015 के आधार पर नामान्तकरण खोलकर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादीगण के खाते दर्ज करने से मना कर दिया। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 का खाते मे नाम दर्ज होने की वजह से प्रतिवादी क्रम 1 अपने हिस्से की आराजी को रहन, बैचान, खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं। जबकि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का प्रतिवादी क्रम 1 ने हकत्याग वादीगण के पिता छीतरलाल पुत्र कंवरलाल के पक्ष मे कर दिया था जिस पर कब्जा वादीगण का चला आ रहा हैं। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर हक त्याग पत्र दिनांक 29.06.2015 का नामान्तकरण खुलवाया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करवाया जाना सम्भव नही हैं। यदि हकत्याग पत्र दिनांक 29.06.2015 का नामान्तकरण खुलवाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित नही किया

गया तो वादीगण वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण को प्राप्त चले आ रहे हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा जिसके फलस्वरूप वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। अस्तु वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर हकत्याग पत्र दिनांक 29.06.2015 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 223 में पृष्ठ संख्या 70 क्रम संख्या 2015001121 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 654 के पृष्ठ संख्या 24 से 26 के आधार पर नामान्तकरण खुलवाकर प्रतिवादी क्रम 1 का नाम खारिज करवाने तथा प्रतिवादी क्रम 1 के स्थान वादीगण खातेदार कृषक घोषित करवाने के अधिकारी हैं। वाद कारण प्रथम बार हकत्याग दिनांक 29.06.2015 को हकत्याग पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादी क्रम 2 के यहा पेश करने पर और प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा नामान्तकरण दर्ज करने से मना व अन्तिम बार दिनांक 13.10.2024 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी को रहन बैचान करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान भूमि धारी होने एवं वाद घोषणा का होने की वजह से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 जा०दी० का नोटिस प्रेषित कर दिया हैं। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से धारा 80 (2) के प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। राजस्थान सरकारी भूमि धारी होने एवं वाद घोषणा खातेदारी का होने से की वजह से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी तहसीलदार अटरू को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल निमोदा पटवार हल्का भैसडा में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी पर हकत्याग पत्र दिनांक 29.06. 2015 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 223 मे पृष्ठ संख्या 70 क्रम संख्या 2015001121 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 654 के पृष्ठ संख्या 24 से 26 के आधार पर नामान्तकरण खुलवाकर प्रतिवादी क्रम 1 का नाम खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 के स्थान वादीगण खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद नं0 1 से 12 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। प्रार्थना वादीगण स्वीकार है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाये जाने में प्रतिवादी कम 1 को कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी कम 2 द्वारा जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया।

साक्ष्यवादी के तहतPw1 रामकिशन पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल निवासी निमोदा तहसील अटरू व Pw2 रेवडीलाल पुत्र फूलचन्द जाति मेघवाल निवासी निमोदा तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा उनके सशपथ बयान लेखबद्व किए गए।

अभिभाषकगण की बहस सूनी गई। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान पत्रावली में वर्णित तथ्यों को दोहराया वाद पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया तथा अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा भी उक्त बहस के दौरान कोई आपत्ति पेश नही की गई।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी ग्राम व माल निमोदा पटवार हल्का भैंसडा खाता संख्या 29 (प्रदर्श–P1), रजिस्टर्ड हकत्याग संख्या 2015001504 दिनांक 29.06.2015 (प्रदर्श–P2), मृत्यु प्रमाण पत्र छीतरलाल (प्रदर्श–P3) का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबन्दी ग्राम व माल निमोदा पटवार हल्का भैंसडा (प्रदर्श–P1)के अनुसार खाता संख्या नया 29 पुराना 30 के ख0नं0 282 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 283 का रकबा 1.06 है0 व ख0नं0 414/152 का रकबा 0.62 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.40 है0 आराजी वादी कम 1 नरेश कुमार पुत्र छीतरलाल हिस्सा 1/14, वादिया कम 2 नीतूपुत्री छीतरलाल हिस्सा 1/14, वादिया कम 3 पुष्पाबाई पत्नी स्व0 छीतरलाल हिस्सा 1/14, वादिया कम 4 ममता पुत्री छीतरलाल हिस्सा 1/14, वादी कम 5 रामकिशन पुत्र छीतरलाल हिस्सा 1/14, वादिया कम 6 सुनिता पुत्री छीतरलाल हिस्सा 1/14, वादी कम 7 सुरजकरण पुत्र छीतरलाल हिस्सा 1/14 व प्रतिवादी कम 1पृथ्वीराज पुत्र कंवरलाल हिस्सा 1/2 के शामलाती खाते दर्ज रिकार्ड है। रजिस्टर्ड हकत्याग संख्या 2015001504 दिनांक 29.06.2015 (प्रदर्श–P2)के अनुसार पृथ्वीराज पुत्र कंवरलाल जाति

मेघवाल निवासी निमोदा तहसील अटरू ने ग्राम व माल निमोदा पटवार हल्का भैंसडा के खाता संख्या नया 29 पुराना 30 के ख0नं0 282 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 283 का रकबा 1.06 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.78 है0 व ग्राम व माल निमोदा पटवार हल्का भैंसडा के खाता संख्या 28 का ख0नं0 414/152 का रकबा 0.62 है0 आराजीमें से अपना हिस्सा 1/2 छीतरलाल पुत्र कंवरलाल जाति मेघवाल निवासी निमोदा तहसील अटरू जिला बारां के पक्ष में हकत्याग कर दिया।प्रतिवादी क्रम 1 पृथ्वीराज पुत्र कंवरलाल जाति मेघवाल निवासी निमोदा तहसील अटरू जिला बारां ने भी उक्त वाद पत्र के संबंध में कोई आपत्ति पेश नही की तथा आदेशिका पर सहमति हस्ताक्षर किए है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण व दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादितआराजी ग्राम व माल निमोदा पटवार हल्का भैंसडा के खाता संख्या नया 29 पुराना 30 के ख0नं0 282 रकबा 0.72 है0 व ख0नं0 283 का रकबा 1.06 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.78 है0 आराजी में से प्रतिवादी क्रम 1 केहिस्से 1/2 हकत्याग की सीमा तक वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। भूमि की किस्म यथा गै0मु0 छतरी, गै0मु0 रास्ता, गै0मु0 खाल, माल 1, बारानी 1 का नोट खाते में यथावत रखा जावें।तहसीलदार अटरू नियमानुसार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 60/2024 **दायर दिनांकः 25.10.2024**

उनवान

1. नरेश कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल मो.नं. 7877051864
2. नीतू आयु 22 वर्ष पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल
3. पुष्पाबाई आयु 65 वर्ष पत्नि स्व. छीतरलाल जाति मेघवाल
4. ममता आयु 25 वर्ष पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल
5. रामकिशन आयु 38 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल मो.नं. 6377236465
6. सुनिता आयु 30 वर्ष पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल
7. सूरजकरण आयु 34 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल निवासीगण निमोदा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 8890522279

वादीगण

बनाम

3. पृथ्वीराज आयु 62 वर्ष पुत्र कंवरलाल जाति मेघवाल निवासी निमोदा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 8890615712
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर

मिनजानित मुदई रूबरू .....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादितआराजी ग्राम व माल निमोदा पटवार हल्का भैंसडा के खाता संख्या नया 29 पुराना 30 के ख0नं0 282 रकबा 0.72 है0 व ख0नं0 283 का रकबा 1.06 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.78 है0 आराजी में से प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 1/2 हकत्याग की सीमा तक वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। भूमि की किस्म यथा गै0मु0 छतरी, गै0मु0 रास्ता, गै0मु0 खाल, माल 1, बारानी 1 का नोट खाते में यथावत रखा जावें।तहसीलदार अटरू नियमानुसार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....रु..... मुबालिक .....रु..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....रु..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....रु..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 25.08.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)